न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 2/2019 **दायर दिनांकः 15/04/2019**

उनवान

1. रामगोपाल आयु 68 वर्ष पुत्र नेनगा जाति माली निवासी कनोटिया तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>
<u>एंव इन्द्राज दुरस्ती करवाने बाबत</u>

उपस्थिति :–

प्रार्थीः–विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।
अप्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 40 का कुल किता 1 का रकबा 0.04 है0 व खाता संख्या 39 का कुल किता 1 का रकबा 1.15 है0 व ग्राम एंव माल नारायणपुरा की खाता संख्या 21 का कुल किता 2 का रकबा 0.39 है0 आराजी प्रार्थी के जमाबन्दी मे वर्तमान मे शामलाती दर्ज खाता है। वर्तमान नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के पिता नैनगा की मृत्यु हो जाने से पिता नैनगा के स्थान पर प्रार्थी के नाम व अन्य भाईयो के नाम इन्तकाल दर्ज करते समय अप्रार्थी के द्वारा व अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियो व अधिकारियो [illegible]माबन्दी बनाते समय लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुये राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे प्रार्थी [illegible] नाम रामगोपाल पुत्र नैनगा के स्थान पर गोपाल पुत्र नैनगा गलत दर्ज कर दिया गया है। इसलिए प्रार्थी गोपाल पुत्र नैनगा को रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:05 IST
Reason: SelfAttested

नकल जमाबन्दी मे दुरस्त करवाकर गोपाल पुत्र नैनगा के स्थान पर रामगोपाल पुत्र नैनगा करवाने का अधिकारी है। क्योकि प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल है तथा पिता का सही नाम नैनगा है। प्रार्थी के सरकारी रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भी सही नाम रामगोपाल पुत्र नैनगा दर्ज है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का भामाशाह, वोटर आई0 डी0, आधार कार्ड ,राशनकार्ड की फोटो काफी व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी द्वारा किये गये गलत नाम को रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दुरस्त नही करवाया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी, इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है, जो माननीय न्याायलय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। प्रार्थना अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र नैनगा के स्थान पर सही नाम रामगोपाल पुत्र नैनगा दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

साक्ष्य प्राथी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। और साक्ष्य प्रार्थी पेश नही करने के कारण साक्ष्य प्रार्थी बंद किये गये, उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम कनोटिया की खाता संख्या 40 किता 1 रकबा 0.04 है0 खाता संख्या 39 किता 1 रकबा 1.15 है0 एवं माल नारायणपुरा की खाता संख्या 21 किता 2 रकबा 0.39 है0 शामलाती खाते में दर्ज है। प्रार्थी के पिता [illegible] मृत्यु होने के उपरान्त इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र नेनगा के स्थान पर गोपाल पुत्र नेनगा गलत दर्ज कर दिया गया राजस्व रिकार्ड में सही नाम रामगोपाल पुत्र नेनगा दर्ज किया जावें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:05 IST
Reason: SelfAttested

पत्र के साथ ग्राम पंचायत कनोटिया का प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेश किये जिसमें प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र नेनका दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कनोटिया की खाता संख्या 40 किता 1 रकबा 0.04 है0, व खाता संख्या 39 किता 1 रकबा 1.15 है0 एवं ग्राम नारायणपुरा की खाता संख्या 21 किता 2 रकबा 0.39 है0 में खातेदार गोपाल पुत्र नेनगा के स्थान पर रामगोपाल पुत्र नेनगा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:05 IST
Reason: SelfAttested